सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 09, शुक्रवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 30, 2022
Pausa 09 Friday , Saka 1944- December 30, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 22, 2022

संख्या प.10(1)नविवि/3/1981 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर को सीकर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	सीकर	**26.**	चैनपुरा
2.	ढाका की ढाणी	**27.**	पलवास
3.	सबलपुरा	**28.**	कंवरपुरा
4.	जगमालपुरा	**29.**	रामपुरा
5.	भैरूपुरा	**30.**	संतोषपुरा
6.	भादवासी	**31.**	पुरा की ढाणी
7.	शिवसिंहपुरा	**32.**	बालाजी भैरूजी नगर
8.	कटराथल	**33.**	घोराणा
9.	कुडली	**34.**	नला का बालाजी
10.	दादली	**35.**	चारण का बास
11.	हरदयालपुरा	**36.**	देवलानाडा
12.	समर्थपुरा	**37.**	आसपुरा
13.	नानी	**38.**	बलरामपुरा
14.	ढाणी नाथावतान	**39.**	भढ़ाढ़र
15.	चन्दपुरा	**40.**	चैलासी
16.	दाणी सालिमसिंह	**41.**	झीगर छोटी

17.	बजाज नगर	**42.**	किरडोली
18.	देवीपुरा	**43.**	शास्त्री नगर
19.	खिचड़ों का बास	**44.**	झीगर बडी
20.	दुला की ढाणी	**45.**	बाजोर
21.	दासा की ढाणी	**46.**	देवगढ़
22.	राधा किशनपुरा	**47.**	हीरामल नगर
23.	रामू का बास	**48.**	मलकेड़ा
24.	गोकुलपुरा	**49.**	हर्ष
25.	दुजोद	**50.**	पीपल्यानगर

राज्यपाल की आज्ञा से,

मनीष गोयल,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।